तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टीए/4300/2003/टोंक सरकार बनाम देवा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थित–
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उपराजकीय अभिभाषक प्रार्थी
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 28–07–2020

यह रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 232 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 10–07–2003 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर देवली के समक्ष संस्थित वाद संख्या 502/1997 में न्यायालय में विचारण करते हुए दिनांक 12–06–1997 से वादीगण का वाद डिक्री करते हुए ग्राम दलवासा तहसील देवली के खसरा संख्या 404 रकबा 2–60 में से 0–81 हैक्टर भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया है। उक्त अनियमित डिक्री को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत रेफरेंस मण्डल के समक्ष पेश किया है।

हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस रेफरेंस के सम्बन्ध में सुनी।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित आराजी बाबत अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया है। अतः पारित डिक्री राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि अप्रार्थीगण ने ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टीए/4300/2003/टोंक सरकार बनाम देवा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की प्रभावशील दिनांक 15–10–1955 को अप्रार्थीगण का कोई कब्जाकाश्त हो या लगान राशि का भुगतान किया हो। उनका तर्क है कि राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत वही व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जो इस अधिनियम के समय भूमि पर काबिज हो। उनका कहना है कि वाद में विचारण न्यायालय ने वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी तथा राज्य पक्ष को सुने बगैर व राजस्व अभिलेख के विपरीत होने के साथ–साथ पारित की गई डिक्री कानूनन अनियमित है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 15, 5 (42) व (88) के प्रावधानों के विपरीत जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में वाद को डिक्री कर अनियमितता एवं अवैधानिकता की है। उपरोक्त परिवेश में सहायक जिला कलक्टर देवली द्वारा पारित डिक्री दिनांक 12–06–1997 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर आलोच्य डिक्री को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित रेफरेन्स का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर देवली द्वारा पारित डिक्री 12–06–1997 का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। रेकार्ड से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने आलोच्य डिक्री पारित करने से पूर्व राज्य पक्ष को सुने बिना तथा वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर वाद को डिक्री किया है, जो कि प्रथम दृष्टया ही अवैध है। इसके अतिरिक्त वाद में संलग्न दस्तावेजात का भी विधिवत परीक्षण भी विचारण न्यायालय ने नहीं किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टीए/4300/2003/टोंक सरकार बनाम देवा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुसार वही व्यक्ति खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है जो राज. काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय भूमि पर काबिज हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15–10–1955 को प्रभावी हुआ तथा आराजी पर सन् 1955 में अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कब्जा होना प्रमाणित नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी का लगान अदा किया हो। विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को निर्णित करते समय किसी भी दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड को आधार नहीं बनाया है। केवल वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर खातेदारी देकर गम्भीर अवैधानिकता की है। प्रत्येक राजस्व ग्राम की जमाबंदी होती है। जमाबंदी में विवादित भूमि क्या दर्ज थी, यदि सरकारी दर्ज थी तथा अप्रार्थीगण का कब्जा पुराना होता तो नियमानुसार उन्हें अतिक्रमी मानते हुए भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत उन्हें बेदखल करने का नोटिस प्रतिवर्ष दिया जाता। परन्तु उनके द्वारा इस तरह का भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा गिरदावरी हर वर्ष तैयार होती है, जिसमें काश्त करने वाले कृषक का तथा फसल का अंकन होता है। यदि वादीगण का कोई कब्जा काश्त होता तो गिरदावरी की नकल प्रस्तुत करनी चाहिए थी, वह भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 सुप्रीम कोर्ट (2) एस सी सी 312 एच.बी. गांधी एवं अन्य बनाम गोपीनाथ एण्ड सन्स में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रासंगिक दस्तावेजों के बिना तथा अप्रासंगिक साक्ष्य को मानकर दिया गया निर्णय विधि विपरीत माना जावेगा। हस्तगत रेफरेन्स में भी विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के बाहर जाकर अप्रासंगिक एवं अप्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टीए/4300/2003/टोंक सरकार बनाम देवा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथा वादीगण की एकपक्षीय बहस के आधार पर भूमि पर कब्जा मानकर खातेदारी दी है, जो कि विधि के विपरीत है। हस्तगत प्रकरण पर एआईआर 1994 एससी पेज 1341 का न्यायिक दृष्टांत भी चस्पा होता है।

विचारण न्यायालय के द्वारा निर्णय में गम्भीर विधिक एवं प्रक्रियात्मक अनियमिताएं की गई है, इससे यह प्रकट होता है कि पीठासीन अधिकारी ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्णय दिया है। बिना साक्ष्य पर आधारित निर्णय विधि की दृष्टि में शून्य है, जिसे किसी भी स्थिति में यथावत रखना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में सहायक जिला कलक्टर देवली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-06-1997 निरस्त होने योग्य है।

अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा सहायक जिला कलक्टर देवली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-06-1997 को निरस्त किया जाता है।

पत्रावली उपरोक्तानुसार निर्णित की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर क्रम से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनीता श्रीवास्तव)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टीए/4300/2003/टोंक सरकार बनाम देवा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए